2016/38

न्यायालय मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर नागौर
पीठासीन अधिकारी–राजन विशाल, आई.ए.एस.

भूमि अवाप्ति रेफरेन्स प्रार्थना संख्या–10/2016

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
सलीम पुत्र मोहम्मद जाति छींपा मुसलमान निवासी डेगाना तहसील डेगाना जिला नागौर		1. भारत संघ जरिये सचिव सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली। 2. उप सचिव (राष्ट्रीय राजमार्ग) सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर। 3. प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, नागौर । 4. प्रोजेक्ट डायरेक्टर एवं कार्यपाल इंजीनीयर, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, ब्लॉक नागौर।

उपस्थित :–

1. **प्रार्थी की ओर से वकील श्री विक्रम जोशी।**
2. **अप्रार्थी 1,2 व 4 की ओर से वकील श्री राकेश धनकड़ एवं श्री अनिल गौड़।**
3. **अप्रार्थी संख्या–3 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।**

आदेश **दिनांकः 09.01.2017**

1–प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–458 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 139.900 निम्बीजोधा से जस्साखेड़ा खण्ड में (नागौर सेक्शन) तक के भू खण्ड निर्माण (चौड़ा करने/ दो लाईन बनाने आदि) के लिए भूमि की अवाप्ति हेतु एन.एच. एक्ट 1956 की धारा 3G के तहत पारित आंशिक अवार्ड दिनांक 15.07.2015, जिसके द्वारा प्रार्थी की ग्राम लंगोड़ के खसरा नम्बर 442 में से 0.4861 हैक्टयर भूमि अवाप्त की जाकर मुआवजा निर्धारित किया गया है, के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 छः(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 एवं संशोधन अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम 1997 सपठित धारा 21 माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम 1996 के अन्तर्गत दिनांक 17.12.2015 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया।

2–प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–1,2 व 4 की ओर से जबाब आवेदन दिनांक 02.05.2016 को प्रस्तुत किया गया। इसी दरम्यान वकील अप्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 03.10.2016 धारा 151 सी.पी.सी.1908 (संशोधित) के तहत प्रस्तुत किया एवं उक्त आवेदन का वकील प्रार्थी द्वारा दिनांक 24.10.2016 जबाब प्रस्तुत किया गया।

3–आवेदन अधीन धारा 151 सी.पी.सी.1908 (संशोधित) उभय पक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी सं.1,2 व 4 ने अपनी बहस में स्वंय द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत प्रार्थना में दिये गये तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि–

3(1)– प्रार्थी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत प्रार्थी के प्रकरण में भूमि अवाप्ति किये जाने हेतु पारित आंशिक अवार्ड दिनांक 15.07.2015 को संशोधित/परिवर्तित किये जाने हेतु अनुतोष चाहा गया। परन्तु तत्पश्चात भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के लागू हो जाने से उक्त अधिनियम की धारा 26 के अनुसरण में पूर्व पारित

आंशिक अवार्ड दिनांक 15.07.2015 के सन्दर्भ में दिनांक 16.10.2015 को संशोधित अवार्ड पारित कर पूर्व अवार्ड में पारित राशि की लगभग तीन गुना राशि अवार्ड पारित किया गया है। तत्पश्चात् सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि में स्थित संरचनाओं के सन्दर्भ में भी दिनांक 6.5.2016 को समुचित अवार्ड पारित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में अधिनियम 1956 की धारा 3क के अनुसरण में अवाप्त की गई भूनि के सन्दर्भ में अंतिम अवार्ड दिनांक 6.5.2016 को पारित किया जा चुका है। वर्तमान में पूर्व में पारित आंशिक अवार्ड दिनांक 15.7.2015 न तो अस्तित्व में रहा है एवं न ही प्रभावशील है।

3(2)– प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के माध्यम से आंशिक अवार्ड दिनांक 15.07.2015 को संशोधित/परिवर्तित किये जाने हेतु अनुतोष चाहा गया है, जो कि प्रीमैच्योर है, क्योंकि उक्त आंशिक अवार्ड के पश्चात सक्षम अवाप्त अधिकारी द्वारा संशोधित अवार्ड दिनांक 16.10.2015 व संरचनाओं का अवार्ड दिनांक 6.5.2016 को पारित किया गया है। प्रार्थी द्वारा उक्त दोनों अवार्ड पारित किये जाने से पूर्व में ही केवल मात्र आंशिक अवार्ड दिनांक 15.07.2015 को चुनौती दी गई है। इसलिए प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र सारहीन हो जाने खारिज किये जाने योग्य है।

3(3)– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी अभिनिर्धारित निर्णयों में यही व्यवस्था दी है कि यदि प्रकरण में चाहा गया अनुतोष पश्चातवर्ती घटना के आधार पर सारहीन हो जावे तो इस प्रकार के प्रकरणों को सारहीन होने से खारिज किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी के रेफरेन्स प्रार्थना पत्र आंशिक अवार्ड दिनांक 15.07.2015 के सन्दर्भ में दिनांक 16.10.2015 को संशोधित अवार्ड पारित कर दिया गया है एवं तत्पश्चात् सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि में स्थित संरचनाओं के सन्दर्भ में भी दिनांक 6.5.2016 को समुचित अवार्ड पारित कर दिया गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रीमैच्योर एवं सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4– अप्रार्थी संख्या–3 की ओर राजपैरोकार वकील अप्रार्थीगण की बहस का पुरजोर समर्थन करते हुए कथन किया कि वकील प्रार्थी द्वारा आंशिक अवार्ड दिनांक 15.07.2015 को संशोधित/परिवर्तित किये जाने हेतु अनुतोष चाहा गया। परन्तु आंशिक अवार्ड दिनांक 15.07.2015 के सन्दर्भ में दिनांक 16.10.2015 को संशोधित अवार्ड पारित कर पूर्व अवार्ड में पारित राशि की लगभग तीन गुना राशि अवार्ड पारित किया जा चुका है एवं संरचनाओं का अवार्ड दिनांक 6.5.2016 को पारित किया गया है। प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि में कोई सरंचना नहीं पाई गई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रीमेच्योर एवं सारहीन होने से निरस्त करने का निवेदन किया है।

5– वकील प्रार्थी द्वारा वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र धारा 151 सी.पी.सी. के संबंध में प्रस्तुत किये गये जबाब में वर्णित तथ्यों क्रो दौहराते हुए एवं वकील अप्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुए मुख्यतः कथन किया की–

5(1)–अप्रार्थीगण द्वारा यह अभिकथित करना कि 15.07.2015 के अवार्ड को संशोधित कर दिया गया है है, यह स्पष्ट स्वीकारोक्ति है कि 15.07.2015 का अवार्ड अपर्याप्त, अपूर्ण विधि के प्रावधानों से प्रार्थीगण को लाभान्वित नहीं करने के उद्देश्य से पारित किया गया था। हस्तगत प्रकरण में भूमि अवाप्ति अधिकारी पक्षकार है, लेकिन उनकी तरफ से वर्तमान कार्यवाही में यह कभी भी नहीं कहा गया कि उनके द्वारा हस्तगत प्रकरण में 15.07.2015 के अवार्ड को संशोधित किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा अभिकथित किया गया है कि अवार्ड 15.7.2015 को संशोधित कर परिवर्द्धित किया गया है और उनके द्वारा उक्त कथन करने के साथ ही कथित आंशिक अवार्ड दिनांक 15.07.2015 को चुनौती दिया जाना कानूनी रूप से विधि बाधित होने के कारण पोषणीय नहीं होने का कथन किया है, उक्त सभी कथन मनमाने और प्रार्थीगण को विधि द्वारा प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। जिस अवार्ड को प्रार्थी द्वारा चैलेंज किया गया है, उक्त अवार्ड अपर्याप्त और अपूर्ण अवार्ड था और अप्रार्थीगण द्वारा यह कहा जाना कि कथित अवार्ड दिनांक 16.10.2015 एवं 6.05.2016 को संशोधित कर दिया गया है, जिसे प्रार्थीगण को बिना किसी पृथक अभिवचन और साक्ष्य के बजाय हस्ब कानून अप्रार्थीगण की केवलमात्र स्वीकारोक्ति के

आधार पर स्वीकार किया जाना चाहिए। अप्रार्थी ने बदयान्तिपूर्वक इस प्रकरण में वर्तमान आवेदन पेश किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

5(2)--वर्तमान कार्यवाही में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त और स्वामित्व की भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं तत्समय प्रभावशील विधि के प्रावधानों की पालना किये बिना और प्रार्थी को साक्ष्य सबूत और सुनवाई का मौका दिये बिना आर्बिट्रेरी रूप पारित किये जाने जाने के कारण और कथित अवार्ड अपर्याप्त और अपूर्ण होने के कारण मध्यस्थ सुलह अधिनियम 1966 के प्रावधानों के तहत जिला कलक्टर महोदय क मध्यस्थ नियुक्त किये जाने के कारण प्रस्तुत किया है, जिस पर सिविल प्रकिया संहिता के कोई प्रावधा लागू नहीं होते है।

5(3)–हस्तगत प्रकरण में उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये थे, अ उन्होने अपना विस्तृत जबाब मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है, लेकिन उक्त शपथ पत्र में अवार्ड व संशोधित, परिवर्तित करने के बारे में कोई अभिवचन नहीं लिये गये है।

5(4)–अप्रार्थीगण ने दबी जुबान में यह स्वीकार किया कि अवार्ड दिनांक 15.07.2015 विधि अनुसार पारि किये हुए नहीं है और उक्त अवार्ड भी आंशिक अवार्ड है, सम्भवतः अप्रार्थीगण का सफेद झूठ जब आर्बिट्रेट महोदय के समक्ष उजागर हो गया, तब उन्होने यह स्पष्ट स्वीकारोक्ति की है कि प्रार्थी को राशि अव दिनांक 15.07.2015 के द्वारा टेण्डर की गई है, उससे अधिक राशि संशोधित अवार्ड द्वारा तय की गई यदि अप्रार्थीगण स्वच्छ हाथों के साथ माननीय आर्बिट्रेटर महोदय के समक्ष उपस्थित होते तो अपने आवे के साथ यह भी स्थिति स्पष्ट करते कि संशोधित अवार्ड जो दिनांक 16.10.2015 अथवा 06.05.2016 को किये गये है, वह राशि प्रार्थीगण को अदा करने के लिए तैयार है। अप्रार्थीगण ने प्रकरण में बदयान्तिपू भूमि अवाप्ति की कार्यवाही विधि के प्रावधानों के अनुसार नहीं करने का कथन करते हुवे अप्रार्थीगण आवेदन निरस्त करने का निवेदन किया है।

6–वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक एस.सी (2004)–11 पेज 168 का अद्योपान्त अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार–

6(1)– प्रकरण में वकील प्रार्थी द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित आंशिक अवार्ड दिनांक 15.07.2 को संशोधित/परिवर्तित किये जाने हेतु रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया। त तत्पश्चात भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधि अधिनियम 2013 के लागू हो जाने से उक्त अधिनियम की धारा 26 के तहत आंशिक अवार्ड दिनांक 1 2015 के सन्दर्भ में दिनांक 16.10.2015 को संशोधित अवार्ड पारित कर पूर्व अवार्ड में पारित राशि लगभग तीन गुना राशि अवार्ड पारित किया जा चुका है एवं संरचनाओं का अवार्ड दिनांक 5.6.201 पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रीमेच्योर एवं सारहीन होने से नि किये जाने योग्य है। वकील अप्रार्थी का यह कथन की प्रकरण में चाहा गया अनुतोष पश्चातवर्ती घट आधार पर सारहीन हो जावे तो इस प्रकार के प्रकरणों को सारहीन होने से खारिज किया जाना आव है। अप्रार्थी के उक्त कथन को उनके द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक दृष्टान्त से भी बल मिलता है,। उप परिस्थितियों एवं घटनाकम के सन्दर्भ में वकील अप्रार्थी के कथन पूर्णतया विधि सम्मत एवं उचित होते है।

6(2)–वकील प्रार्थी द्वारा आंशिक अवार्ड दिनांक 15.07.2015 के विरूद्ध हस्तगत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र 17.12.2015 को प्रस्तुत किया गया है, जबकि संशोधित अवार्ड दिनांक 16.10.2015 को ही अर्थात ह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही पारित कर दिया गया था।

6(3)–वकील प्रार्थी द्वारा अपने जबाब आवेदन पत्र अथवा अपनी बहस से वकील अप्रार्थी के कथ खण्डन स्वरूप ऐसा कोई ठोस तथ्य प्रकट नहीं किया गया है, जिससे की वकील अप्रार्थी के प्रार्थ निरस्त किया जा सके।

6(4)--अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दिनांक 17.12.2015 प्रीमैच्योर एवं सारहीन होना पाये जाने से वकील अप्रार्थी द्वारा दिनांक 03.10.2016 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता 1908 स्वीकार किया जाता है एवं वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 छः(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 एवं संशोधन अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम 1997 सपठित धारा 21 माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम 1996 को निरस्त किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा भूमि अवाप्ति के प्रकरणों में पक्षकारों के मध्य विवाद के समाधान हेतु मध्यस्थता के जरिये हल करने के संबंध में मध्यस्थ नियुक्त किये गये है। इसलिए प्रार्थी के प्रकरण में सहानूभूतिपूर्वक विचार करते हुए प्रार्थी को उपरोक्तानुसार संशोधित अवार्ड दिनांक 16.10.2015 एवं संरचनाओं के संबंध में पारित अवार्ड दिनांक 06.05.2016 से असहमत होने पर उक्त संबंध में नये सिरे से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र रखा जाता है।

6(5)-आदेश सुनाया गया।

09/01/17

(राजन विशाल)
मध्यस्थ एवं ज़िला कलक्टर,
नागौर

नागौर (राजस्थान)